

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

पीठासीन अधिकारी:- चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण संख्या 107/2019 वाद

1. श्री रामेश्वरलाल पिता नारायणलाल जी जाति खंडेलवाल आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा राज0।
2. सौभागमल पिता राजमल जी जाति जैन आयु वयस्क निवासी चिकारडा तह0 डुंगला जिला चित्तौडगढ राज0।


- वादी

//बनाम//

1. श्री प्रेमप्रकाश पिता दौलतराम जी जाति ब्राहमण आयु वयस्कनिवासी दयाल सदन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. श्रीमति कपिल पत्नि श्री स्व0 दौलतराम जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी दयाल सदन, कासोद दरवाजा, तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. श्री विजयकुमार पिता प्रभाशंकर जी जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी कासोद दरवाजा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. **सुमन देवी पुत्री प्रभाशंकर जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी जावदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 । (नाम विलोपित किया गया)**
5. श्री श्यामसुन्दर पिता रंगलाल जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी जाटों की कुईया के पास निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
6. श्री प्रकाशचन्द्र पिता रंगलाल जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी जाटों की कुईया के पास निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
7. श्री सुरेश चन्द्र पिता रंगलाल जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी उदय रेजीरडेन्सी परिसर, मण्डी गेट के पास, निम्बाहेडा।
8. श्री कुन्जबिहारी पिता रंगलाल जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी सरकारी हॉस्पिटल परिसर, निम्बाहेडा।
9. श्री नारायणलाल पिता वासुदेवजी जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी सहायक कर्मचारी सेकेण्डरी स्कुल, फलवा निवासी फलवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
10. श्रीमति विद्यादेवी पिता वासुदेव जी पत्नि योगेश जी जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
11. श्री गोरीशंकर पिता नानुराम शर्मा जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी अरनिया पंथ तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।



- प्रतिवादीगण





वाद

अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 रा.का.अधि.

श्री नरेन्द्र वैष्णव, अधिवक्ता वादी उपस्थित

श्री योगेन्द्र सोलंकी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 व 11 उपस्थित

निर्णय

दिनांक:- 10.08.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा निम्बाहेडा प0ह0 निम्बाहेडा-ए तह0 निम्बाहेडा की खाता सं0 417 की आराजी नं0 1924 मीन रकबा 0.4300 हे0, आराजी नं0 1925 मीन रकबा 0.0600 हे0, आराजी नं0 1926 रकबा 0.1800 हे0, आराजी नं0 1927 रकबा 0.0500 हे0, आराजी नं0 3118/1929 रकबा 0.0400 हे0, आराजी नं0 1929 मीन रकबा 0.1400 हे0, आराजी नं0 1930 रकबा 0.5900 हे0, आराजी नं0 1922 रकबा 0.4900 हे0, आराजी नं0 1928 रकबा 0.1000 हे0, आराजी नं0 1934 रकबा 0.4100 हे0, आराजी नं0 1943 रकबा 0.3600 हे0, आराजी नं0 1948 रकबा 0.2900 हे0, आराजी नं0 2453 रकबा 0.2400 हे0, आराजी नं0 2454 रकबा 0.2400 हे0, आराजी नं0 3097/1924 रकबा 0.0200 हे0, आराजी नं0 3098/1924 रकबा 0.2200 हे0, आराजी नं0 3099/1923 रकबा 0.0200 हे0, आराजी नं0 1923 मीन रकबा 0.2400 हे0, कुल कित्ता 18 कुल रकबा 4.0200 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वाद ग्रस्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की चली आ रही है वाद ग्रस्त आराजीयात में वादी नं0 1 ने उक्त आराजीयात का 31/536 हक हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से वादी नं0 1 अपने हक हिस्से की आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, तथा वादी नं0 2 सौभागमल ने वादग्रस्त आराजीयात में से प्रतिवादी श्यामसुन्दर से 13/402 हक हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से वादी नं0 2 अपने हक हिस्से की आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, तथा वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा प्रतिवादीगण का भी राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है, तथा वादग्रस्त आराजीयात की रकबे की कमी पेशी को लेकर मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। वादीगण ने प्रतिवादीगणो को वादग्रस्त आराजीयात का बटवाडा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स करा कर वादीगण का मौके पर काबिज अनुसार वाद ग्रस्त भूमि का बटवारा कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण टलचाल कर रहे है, तथा वादी व गावं के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा प्रतिवादीगणों को समझाने बुझाने पर भी किसी भी सुरत मे मानने को तैयार नहि है तथा प्रतिवादीगण बटवाडा कराने से इंकार हो गयो है। इसलिए वादी नं0 1 का 31/536 हक हिस्सा तथा वादी नं0 2 का 13/402 हक

हिस्सा मौके पर काबिज अनुसार बटवाडा बाय मिट्स एंड बाउण्डस कर उक्त आराजीयात अपने-अपने नाम अलग-अलग खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है, तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बदस्तुर शामलाती रखने का अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा उपर्युक्तानुसार डिक्री किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 4 फौत हो जाने से उनका नाम विलोपित किया गया। शेष प्रतिवादी संख्या 5 व 11 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। बाद में राजीनामा प्रस्तुत कर वादी का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने अपने वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत 2072-75 ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 417 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। जमाबन्दी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 संयुक्त खातेदार होकर हिस्से दर्ज रेकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 व 11 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार विवादित भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने का निवेदन किया है। शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा यथावत रखने का भी निवेदन किया है। रेकार्डेड खातेदार को अपने दर्ज हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा कराने का कानूनी अधिकार है। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना तामिल के न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा राजीनामें अनुसार डिक्री योग्य है।

अतः वाद वादीगण राजीनामें अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते हैं कि विवादित भूमि मौजा वाके मौजा निम्बाहेड़ा प0ह0 निम्बाहेड़ा-ए तह0 निम्बाहेड़ा की खाता सं0 417 की आराजी नं0 1924 मीन रकबा 0.4300 हे0, आराजी नं0 1925 मीन रकबा 0.0600 हे0, आराजी नं0 1926 रकबा 0.1800 हे0, आराजी नं0 1927 रकबा 0.0500 हे0, आराजी नं0 3118/1929 रकबा 0.0400 हे0, आराजी नं0 1929 मीन रकबा 0.1400 हे0, आराजी नं0 1930 रकबा 0.5900 हे0, आराजी नं0 1922 रकबा 0.4900 हे0, आराजी नं0 1928 रकबा 0.1000 हे0, आराजी नं0 1934 रकबा 0.4100 हे0, आराजी नं0 1943 रकबा 0.3600 हे0, आराजी नं0 1948 रकबा 0.2900 हे0, आराजी नं0 2453 रकबा 0.2400 हे0, आराजी नं0 2454 रकबा 0.2400 हे0, आराजी नं0 3097/1924 रकबा 0.0200 हे0, आराजी नं0 3098/1924 रकबा 0.2200 हे0, आराजी नं0 3099/1923 रकबा 0.0200 हे0, आराजी नं0 1923 मीन रकबा 0.2400 हे0, कुल किता 18 कुल रकबा 4.0200 हैक्टेयर का बंटवारा वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 11 का उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे

अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 11 का हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे। शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा बदस्तुर शामिल की रखा जावे। फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.09.2020 तक प्रस्तुत हो। फीस कमिश्नर वादीगण से वसूल की जावे। पत्रावली वास्ते देखने फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.09.2020 को प्रस्तुत हो।

यह आज तारीख 10.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी:- चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण संख्या 107/2019 वाद

1. श्री रामेश्वरलाल पिता नारायणलाल जी जाति खंडेलवाल आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा राज0 ।
2. सौभागमल पिता राजमल जी जाति जैन आयु वयस्क निवासी चिकारडा तह0 डुंगला जिला चित्तौडगढ राज0 ।

- वादी

//बनाम//

1. श्री प्रेमप्रकाश पिता दौलतराम जी जाति ब्राहमण आयु वयस्कनिवासी दयाल सदन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
2. श्रीमति कपिल पत्नि श्री स्व0 दौलतराम जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी दयाल सदन, कासोद दरवाजा, तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
3. श्री विजयकुमार पिता प्रभाशंकर जी जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी कासोद दरवाजा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
4. **सुमन देवी पुत्री प्रभाशंकर जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी जावदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 । (नाम विलोपित किया गया)**
5. श्री श्यामसुन्दर पिता रंगलाल जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी जाटों की कुईया के पास निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
6. श्री प्रकाशचन्द्र पिता रंगलाल जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी जाटों की कुईया के पास निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।
7. श्री सुरेश चन्द्र पिता रंगलाल जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी उदय रेजीरडेन्सी परिसर, मण्डी गेट के पास, निम्बाहेडा ।
8. श्री कुन्जबिहारी पिता रंगलाल जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी सरकारी हॉस्पिटल परिसर, निम्बाहेडा ।
9. श्री नारायणलाल पिता वासुदेवजी जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी सहायक कर्मचारी सेकेण्डरी स्कूल, फलवा निवासी फलवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।
10. श्रीमति विद्यादेवी पिता वासुदेव जी पत्नि योगेश जी जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।
11. श्री गोरीशंकर पिता नानुराम शर्मा जाति ब्राहमण आयु वयस्क निवासी अरनिया पंथ तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

- प्रतिवादीगण

वाद

अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 रा.का.अधि.

प्रकरण में वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 11 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश सोलंकी की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण राजीनामें अनुसार प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते हैं कि विवादित भूमि मौजा वाके मौजा निम्बाहेड़ा प0ह0 निम्बाहेड़ा-ए तह0 निम्बाहेड़ा की खाता सं0 417 की आराजी नं0 1924 मीन रकबा 0.4300 हे0, आराजी नं0 1925 मीन रकबा 0.0600 हे0, आराजी नं0 1926 रकबा 0.1800 हे0, आराजी नं0 1927 रकबा 0.0500 हे0, आराजी नं0 3118/1929 रकबा 0.0400 हे0, आराजी नं0 1929 मीन रकबा 0.1400 हे0, आराजी नं0 1930 रकबा 0.5900 हे0, आराजी नं0 1922 रकबा 0.4900 हे0, आराजी नं0 1928 रकबा 0.1000 हे0, आराजी नं0 1934 रकबा 0.4100 हे0, आराजी नं0 1943 रकबा 0.3600 हे0, आराजी नं0 1948 रकबा 0.2900 हे0, आराजी नं0 2453 रकबा 0.2400 हे0, आराजी नं0 2454 रकबा 0.2400 हे0, आराजी नं0 3097/1924 रकबा 0.0200 हे0, आराजी नं0 3098/1924 रकबा 0.2200 हे0, आराजी नं0 3099/1923 रकबा 0.0200 हे0, आराजी नं0 1923 मीन रकबा 0.2400 हे0, कुल किता 18 कुल रकबा 4.0200 हैक्टेयर का बंटवारा वादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 11 का उनके राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 11 का हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज किया जावे। शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा बदस्तुर शामिली रखा जावे। फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.09.2020 तक प्रस्तुत हो। फीस कमिश्नर वादीगण से वसूल की जावे।

यह आज तारीख 10.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा